Jharkhand State Pollution Control Board Government of Jharkhand



DIPP Point No. 95

Question	Remarks
5a. Environmental Registration Enablers	CTO is granted for 5 years for Red Industries, 10 years for Orange and 15 years for green cat-
Q: Issue Consent to Operate licences that are valid for a minimum period of 5 years or more	egory of industries
URL: http://www.jspcb.org/pdf/1971.pdf	



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एव० ई० सी०, धुर्वा, रॉची दूरमाष : (0651) 2400851, 2400852, फैक्स : 0651-2400850

अचि० संग - 6 - 06

राँची, दिनांक- 15)6/ 15

अधिसूचना

पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या बी–15, दिनांक 10.05.2014 को संशोधित करते हुए, Red Orange एयं Green Category के इकाइयों को पर्षद द्वारा 05, 10 एवं 15 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निम्नवत निर्गत किए जाएँगे :--

- Red Category of Industry :- सभी Red Category के इकाईयों को पाँच वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्मत किए जाएंगे । इन इकाईयों का निरीक्षण सामान्यतया 02 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।
- Orange Category of Industry सभी Orange Category के इकाईयों को दस यर्थों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्मत किए जाएँगे ।
 - a) Orange Category में low risk इकाईयों को सहमति आदेश Self Certification के आधार पर निर्मत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।

Consent for 5 years for Red Category Industries

Consent for 10 years for Orange Category

b) Orange Category में High risk इकाईयों को सहमति आदेश (Consent to Operate) third party Inspection के आवार पर निर्गत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 3 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।

Jharkhand State Pollution Control Board Government of Jharkhand



3) Green Category of Industry :- सभी Green Category की इकाईयों को पर्यव द्वारा Self Certification के आधार पर 16 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किया जाएगा तथा इन इकाईयों का निरीक्षण पर्षद द्वारा पूरी सहमति की अवधि में सामान्यतया एक बार किया जाएगा ।

> निरीक्षण के आधार पर ज्ञतों के उल्लंघन पाये जाने की रिथति में सहमति पत्र की वैधता समाप्त की जा सकेगी ।

Consent for 15 years for **Green Category** Industries

10/-(शंजय कुमार शुमन) शवस्य शचिव


र्शेंची दिनांक ज्ञापांक प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार रौंबी/ सचिव उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/सचिव खान एवं भुतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/निवेशक उद्योग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

> 80/-(शंजय कुमार शुमन)

शढ्ख शचिव

ज्ञापांक <u>5 - 19</u>68 प्रतिलिपि :- राभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/पर्षव् विश्लेषक/ सभी पदाधिकारियों, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण

राँची, विनाक 15/6/15



शवरच शचिव

SUPPORTING DOCUMENT

270,66,74

ž

 \mathcal{D}



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, ध्रुर्वा, रॉची दूरभाष : (0651) 2400851, 2400852, फेक्स : 0651--2400850

अधि० सं0:-3-06

राँची, दिनांक:- 15)6/15

<u>अधिसूचना</u>

पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या बी-15, दिनांक 10.05.2014 को संशोधित करते हुए, Red Orange एवं Green Category के इकाइयों को पर्षद् द्वारा 05, 10 एवं 15 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निम्नवत निर्गत किए जाऐंगे :--

- Red Category of Industry ---- सभी Red Category के इकाईयों को पाँच वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किए जाऐंगे । इन इकाईयों का निरीक्षण सामान्यतया 02 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।
- Orange Category of Industry :- सभी Orange Category के इकाईयों को दस वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्मत किए जाऐंगे ।
 - a) Orange Category में low risk इकाईयों को सहमति आदेश Self Certification के आधार पर निर्गत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 5 वर्षो के अंतराल पर किया जाएगा ।
 - b) Orange Category में High risk इकाईयों को सहमति आदेश (Consent to Operate) third party Inspection के आधार पर निर्गत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 3 वर्षी के अंतराल पर किया जाएगा ।

Green Category of Industry :- सभी Green Category की इकाईयों को पर्षत् द्वारा Self Certification के आधार पर 15 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किया जाएगा तथा इन इकाईयों का निरीक्षण पर्षद द्वारा पूरी सहमति की अवधि में सामान्यतयां एक बार किया जाएगा ।

निरीक्षण के आधार पर शर्तो के उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में सहमति पत्र की वैधता समाप्त की जा सकेगी ।

ぎ0/-

(शंजय कुमार शुमन) शब्स्य शचिव

राँची, दिनांक ज्ञापांक प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार राँची/ सचिव उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/सचिव खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/निदेशक उद्योग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

> 〒0/-(शंजय कुमार शुमन)

शढ्स्य शचिव

ज्ञापांक 5-1968 प्रतिलिपि :- सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/पर्षद् विश्लेषक/ सभी पदाधिकारियों, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण

राँची, दिनांक 15/6

पर्षद् / पर्षद् सूचना पट्ट / पर्षद् website पर upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक् कारवाई हेतु प्रेषित (शंजय कू

शबस्य शचिव

Ŷ

3)